सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

गुरप्रीतसिंह वगैरा बनाम महेन्द्रसिंह वगैरा
प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 सीपीसी
विविध प्रकरण सं0 10/16

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
13.07.16	प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। एडमिशन बहस हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 15–7–16 को पेश हो।	
15.7.16	प्रार्थी के Ad. उप0। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते एडमिशन बहस दि0 20.7.16 को पेश हो।	
20.7.16	प्रार्थीगण के Ad. उप0। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते एडमिशन बहस दिनांक 22.7.16 को पेश हो।	
22.7.16	प्रार्थीगण के Ad. उप0। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दि0 28.7.16 को पेश हो।	
28.07.16	पीठासीन अधिकारी अवकाश भ्रमण पर राजकीय कार्य मे व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 3.8.16 को पेश हो।	
3.8.16	प्रार्थीगण के Ad. उप0। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस एडमिशन दि0 12.8.16 को पेश हो।	
12.8.16	प्रार्थीगण के ~~Ad.~~ की अर्जी देखी पर श्री टी2 महान Ad. उप0 आरतथ्य बहस के लिए समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दि0 22.8.16 को पेश हो।	

विविध प्रकरण संख्या 10/2016
अनवानी गुरप्रीत सिंह वगैरा बनाम मनजिन्द्र सिंह वगैरा

28.02.2020

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 53/2015 मनजिन्द्र सिंह वगैरा बनाम राज्य व सरजीत कौर वगैरा में दिनांक 28.03.2016 को अंतिम निर्णय पारित कर अपीलांटास की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अपीलकृत इंतकाल निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था। अपील प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही इस आधार पर की गई कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 घर पर उपस्थित नहीं मिला नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किया गया। मुझ प्रार्थीगण को अनवानी प्रकरण संख्या 53/2015 में बिना सुने निर्णय पारित किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 28.03.2016 को स्थगित किया जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि आदेश दिनांक 16.12.2015 को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ता 04 की तामील मुताबिक रिपोर्ट तामिल कुन्निदा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ता 04 घर पर उपस्थित नहीं मिले नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किया गया का पारित किया गया जबकि प्रकरण संख्या 53/2015 मनजिन्द्र सिंह वगैरा बनाम राज्य व सरजीत कौर वगैरा में दिनांक 28.03.2016 करीब 3 माह बाद पारित किया गया, जिसमे अपील अपीलांट आशिंक रूप से स्वीकार करते हुए इन्तकाल निरस्त कर उभयपक्षकार को पुनः सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये जो विधिसम्मत् है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ सम्बन्धित तहसीलदार को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैंसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें ।

आदेश सुनाया गया।

(डा. गुंजन सोनी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर।

Scanned by CamScanner